

18-2  
2019

पत्रावली पेशा हुई। वकील श्री निदेश कुमार  
वेदलोत का कथन है कि गांधी का  
वकालतनामा उनके पास था। गांधी की शिष्ट  
होने से उनके काम को कम में रोक  
प्र लिया गया है। कायम मुकाम की  
कार से वे कार्यरत नहीं हैं।  
इस संबंध में आदेशिका डि. 10-5-2019  
के अनुसार से जाहिर है कि गांधी के  
कामों को गैरिड व शिफाल ने कम में  
उपस्थित होकर काम प्राप्त पेश किया  
था। जिनको आदेशिका डि. 10-5-2019  
की पूर्ण जानकारी थी। जिसमें प्रावधान  
का दायित्व था कि अपने प्राप्त में  
पेशी के लिये कार्यरत से सम्पर्क  
कर कार्यरत मिचुल करके। प्रावधान  
की कार से पेशी के लिये कर कार्यरत  
नहीं है तथा प्रावधान बचों की उपस्थित  
नहीं है। लिहाजा प्रावधान पर प्रावधान  
द्वारा 136 2R नम क्रम हाजरी। क्रम  
पेशी में रजिस्ट्रार किता जाता है।  
मिसल मिसल सुगार होकर नंबर से  
कम ही।